न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 348/2022
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. अब्दुल हकीम पुत्र अमीनखां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी जोड़ तहसील बाप

प्रार्थी.............

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

अप्रार्थी..........

उपस्थितः-

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांकः- 30.01.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजों से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्ट्या ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। ग्राम हाजीनगर पटवार क्षेत्र जोड़ तहसील बाप में खसरा नम्बर 134 रकबा 60.6461 हैक्टेयर में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रकबा 100.00 बीघा भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की स्थित है जिसे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा, जमाबंदी सम्वत 2075-2078 की प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त भू-प्रबन्ध प्रार्थी के पूर्वजों का भू-प्रबन्ध से पूर्व से खसरा नम्बर 134 रकबा 60.6461 हैक्टेयर में से रकबा 100.00 बीघा ग्राम हाजीनगर पर कब्जा व काश्त होते भू-प्रबन्ध कर्मचारियों व राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के पूर्वजों के कब्जा व काश्त की जांच किये बिना उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं कर खसरा नम्बर 134 में गलत शामिल कर दी गई। प्रार्थी के पूर्वजों का [illegible] और उसके बाद से प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में बारह मासी निरन्तर रहवास है तथा हर वर्ष काश्त कर व प्राकृतिक पैदावार प्राप्त कर उसका उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी ग्राम हाजीनगर पटवार क्षेत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:25:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जोड़ तहसील बाप में खसरा नम्बर 134 रकबा 60.6461 हैक्टेयर में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रकबा 16.1874 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। दिनांक 04.07.2021 को तहसीलदार बाप के अधीनस्थ पटवारी हल्का ने वादग्रस्त काश्त भूमि पर आकर साथ आये व्यक्तियों को सोलर कम्पनी के कर्मचारी बताते वादग्रस्त भूमि किन्ही राजकीय विभागों व सोलर कम्पनियों को हस्तान्तरित करने के लिए सर्वे करने का कहते प्रार्थी को कब्जा छोड़ने हेतु धमकी दी यदि प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर वादग्रस्त भूमि सोलर कम्पनी को प्रदान कर दी जाती है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में सम्भव नहीं हो सकेगा, प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है जिसका यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है-

सरकारी भूमि को लेकर प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है। उक्त खसरा नम्बर 134 रकबा 60.6461 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा हाजीनगर सरकारी भूमि दर्ज है। उक्त भूमि सरकारी भूमि में से रकबा 100.00 बीघा भूमि पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर वादी ने खूंटे रोपकर तारबन्दी कर रखी है तथा तीन पुराने पक्के मकान बना रखे है तथा वादी उक्त भूमि पर पीढ़ियों से कब्जा व काश्त है जिसकी अतिक्रमण की कार्यवाही प्रस्तावित है। प्रार्थी का कब्जा सरकारी भूमि पर होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं उचित निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है-

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:25:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम दृष्ट्या मामला

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी व प्रार्थी के अभिवचनों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है और प्रार्थी अभिलिखित काश्तकार नहीं है और ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जो प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है और तहसीलदार बाप द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत समय-समय पर बेदखल किया जाता रहा है। राजकीय भूमि के सरक्षंण का भू-धारक को पूर्ण अधिकार है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं हुआ है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित काश्तकार है। चूंकी वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी की जानी उचित नहीं होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्राथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:25:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने के अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:25:45 IST
Reason: SelfAttested